

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्रमांक 315/2023

{विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (कर) क्रमांक 122/2023 में दिनांक 8-5-2023 को पारित आदेश से प्रोद्भूत}

रिद्धि एगो इंडस्ट्रीज [द्वारा:भागीदार नवीन कुमार जैन, पिता स्व. श्री भीखू राम जैन, आयु लगभग 56 वर्ष] दुकान नंबर 5, अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स, तेलघानी ओवर ब्रिज के पास, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.), पिन 492001 (याचिकाकर्ता)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1. भारत संघ, द्वारा: सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर भवन, सिविल लाइंस, रायपुर (छ.ग.)
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, सिविल लाइंस, रायपुर (छ.ग.)
4. आयकर अधिकारी, वार्ड-1(2), आयकर भवन, केंद्रीय राजस्व भवन, सिविल लाइंस, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
5. राष्ट्रीय फेसलेस असेसमेंट यूनिट, द्वारा: प्रधान आयकर आयुक्त, एन.एफ.ए.सी., नई दिल्ली।

(उत्तरवादीगण)

...उत्तरवादीगण

अपीलार्थी की ओर से

: श्री एस. राजेश्वर राव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की ओर से : श्री अमित चौधरी एवं श्री टोपीलाल बरेठ, अधिवक्तागण।

खंडपीठ: -

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

(20/11/2024)

संजय के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति



1. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंडपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के अधीन इस न्यायालय के रिट अपीलीय अधिकारिता का आह्वान करते हुए, यहाँ अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका कर क्रमांक 122/2023 में दिनांक 8-5-2023 को पारित निर्णय एवं आदेश की वैधता, विधिमान्यता एवं औचित्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उसकी रिट याचिका को आंशिक रूप से खारिज किया गया था और प्रकरण को विधि के अनुसार नए सिरे से सुनवाई और निराकरण के लिए निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया था।

2. वर्तमान अपीलार्थी ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए दिनांक 30-9-2016 को ₹ 13,53,820/- की कुल आय घोषित करते हुए अपना आय रिटर्न प्रस्तुत किया था और इसे आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षिप्त में 'आई.टी. अधिनियम') की धारा 143(1) के अधीन संसाधित किया गया था और इसने अंतिमता प्राप्त कर ली थी। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने आई.टी. अधिनियम की धारा 148 के अधीन आगे बढ़ने का निर्णय लिया और कहा जाता है कि सूचना दिनांक 30-6-2021 को जारी किया गया था, हालांकि, इसे आयकर विभाग के साथ अपीलार्थी के पंजीकृत ई-फाइलिंग खाते पर दिनांक 3-7-2021 को अपलोड किया गया था। अपीलार्थी का यह प्रकरण है कि कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा 27-4-2021 को जारी अधिसूचना द्वारा एक वर्ष की अवधि बढ़ाई गई है। तत्पश्चात, उक्त अधिसूचना के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आई.टी. अधिनियम की धारा 149(1)(क) के सहपठित धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने की देय तिथि दिनांक 30-6-2021 तक थी, हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने यद्यपि दिनांक 30-6-2021 को सूचना जारी करने का दावा किया था, लेकिन यह बिना दस्तावेज़ पहचान संख्या के था और इसे आयकर विभाग के साथ अपीलार्थी के पंजीकृत ई-फाइलिंग खाते पर दिनांक 3-7-2021 को अपलोड किया गया था, जो कि दिनांक 1-4-2022 को इसके संशोधन से पूर्व आई.टी. अधिनियम की धारा 149(1)(ख) के अधीन निर्धारित परिसीमा की वैधानिक अवधि से परे है और इसलिए यह परिसीमा से बाधित था, और जिसे अपीलार्थी ने आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग पोर्टल पर केवल दिनांक 4-7-2021 को खोला था, अतः, पूरी कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बिना और विधि के प्राधिकार के बिना है।

3. आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन पुनः निर्धारण के लिए परिसीमा से बाधित कार्यवाही से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी ने रिट न्यायालय के समक्ष उक्त कार्यवाही और सूचना को इस आधार पर चुनौती देते हुए रिट याचिका प्रस्तुत की थी कि वह परिसीमा से बाधित था और यह भी कि कर-निर्धारण से छूटी हुई आय के कारण/सुझाव अपीलार्थी को नहीं दिए गए थे। यद्यपि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत संघ व अन्य विरुद्ध आशीष अग्रवाल¹ में पारित

1 (2023) 1 SCC 617



निर्णय का अवलंब लेते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया, किंतु इस आधार पर विचार नहीं किया कि यह परिसीमा से बाधित था। इसके परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष इस आधार पर वर्तमान रिट अपील प्रस्तुत की गई कि चूंकि आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन जारी सूचना स्वयं संशोधन से पूर्व की धारा 149(1)(ख) के अधीन परिसीमा से बाधित था, अतः रिट याचिका पूर्णतः स्वीकार किए जाने योग्य है।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. राजेश्वर राव ने यह तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को पूर्णतः स्वीकार न करके आंशिक रूप से खारिज करना पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि उन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की है कि आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन जारी सूचना, दिनांक 27-4-2021 की अधिसूचना के सहपठित आयकर अधिनियम की धारा 149(1)(ख) के अधीन पूर्णतः परिसीमा से बाधित है। अतः यह अभिनिर्धारित करते हुए कि आयकर अधिनियम की धारा 149(1)(a) के साथ पठित धारा 148 के अधीन जारी सूचना परिसीमा से बाधित है, रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

5. आयकर विभाग/उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अमित चौधरी ने यह तर्क दिया कि कोविड-19 की स्थिति के कारण, निर्धारण अधिकारी के कथित तौर पर कोविड से पीड़ित होने की वजह से दिनांक 30-6-2021 को सूचना अपलोड नहीं किया जा सका था।

6. हमने पक्षकारण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

7. निर्विवाद रूप से, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अपीलार्थी द्वारा ₹ 13,53,820/- की कुल आय घोषित करते हुए दिनांक 30-9-2016 को आयकर रिटर्न प्रस्तुत की गई थी, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के अधीन संसाधित किया गया था और इसने अंतिमता प्राप्त कर ली थी। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 147 के अधीन कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके लिए परिसीमा आयकर अधिनियम की धारा 149 के अधीन निर्धारित है। हालांकि, इस स्तर पर, दिनांक 1-4-2022 से प्रभावी संशोधन से पूर्व आयकर अधिनियम की धारा 149 के अधीन निर्धारित समय सीमा पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार है: -

“149. सूचना की समय-सीमा-(1) धारा 148 के अधीन कोई सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उस समय जारी नहीं की जाएगी, -

(क) xxx xxx xxx



(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष किंतु अधिक से अधिक छह वर्ष बीत चुके हैं, जब तक कि कर से प्रभार्य आय, जो निर्धारण से छूट गई थी, उस वर्ष के लिए एक लाख रुपए या अधिक की कोटि में नहीं आती या आनी संभाव्य नहीं है।

8. उपरोक्त उपबंध के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विधि बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा यह विधायी अधिदेश दिया गया है कि संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी नहीं किया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 149(1)(ख) में निहित प्रावधान अनिवार्य हैं। परिसीमा की निर्धारित अवधि के पश्चात धारा 149(1)(ख) के अधीन दिया गया सूचना धारा 148 के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही को बाधित कर देगा।

9. इस संबंध में, **आर.के. उपाध्याय विरुद्ध शनाभाई पी. पटेल²** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना लाभप्रद होगा, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतिगण ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारित परिसीमा समाप्त होने के पश्चात आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन कोई भी सूचना जारी नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा आगे यह भी कहा गया कि एक बार यदि धारा 149(1) के अधीन निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर धारा 148 के अधीन सूचना जारी कर दिया जाता है, तो आयकर अधिकारी के पास पुनः निर्धारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का क्षेत्राधिकार निहित हो जाता है। यह निम्नानुसार अवधारित किया गया है: -

"2. ... 1961 के अधिनियम के अधीन सूचना जारी करने और सूचना की तामील के बीच एक स्पष्ट अंतर बताया गया है। धारा 149 परिसीमा की अवधि निर्धारित करती है। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि निर्धारित परिसीमा समाप्त होने के बाद धारा 148 के अधीन कोई भी सूचना जारी नहीं किया जाएगा। धारा 148(1) कर-निर्धारण का आदेश पारित करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त के रूप में सूचना की तामील का प्रावधान करती है। एक बार जब परिसीमा की अवधि के भीतर सूचना जारी कर दिया जाता है, तो आयकर अधिकारी को पुनः निर्धारण की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है। धारा 148(1) का अधिदेश यह है कि जब तक तामील न हो जाए, तब तक पुनः निर्धारण नहीं किया जाएगा। सूचना जारी करने की आवश्यकता तब पूरी हो जाती है जब सूचना वास्तव में जारी कर दिया जाता है। इस प्रकरण में, यह स्वीकार किया गया है कि सूचना निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर जारी किया गया था क्योंकि 31 मार्च, 1970 उस अवधि का अंतिम दिन था। नए अधिनियम के अधीन, तामील होना आयकर अधिकारी को प्रकरण पर



विचार करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त नहीं है, बल्कि यह कर-निर्धारण का आदेश पारित करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। ...”


10. स्वीकृत रूप से, इस प्रकरण में निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था, जो दिनांक 31-3-2017 को समाप्त हुआ और जिसकी चार वर्ष की परिसीमा दिनांक 31-3-2021 को समाप्त हो गई थी, किंतु वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा दिनांक 27-4-2021 को जारी अधिसूचना में निम्नानुसार प्रावधान है (सुसंगत अंश):-

“एस.ओ. 1703(ई).— कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 38) (एतस्मिन् पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 93/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, संख्या 10/2021 दिनांक 27 फरवरी, 2021 और संख्या 20/2021 दिनांक 31 मार्च, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में क्रमशः संख्या एस.ओ. 4805(ई) दिनांक 31 दिसंबर, 2020, संख्या एस.ओ. 966(ई) दिनांक 27 फरवरी, 2021 और संख्या एस.ओ. 1432(ई) दिनांक 31 मार्च, 2021 के माध्यम से प्रकाशित हुई थीं (एतस्मिन् पश्चात् जिन्हें उक्त अधिसूचनाएं कहा गया है), के आंशिक संशोधन में, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि, -

(अ) जहाँ विनिर्दिष्ट अधिनियम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतस्मिन् पश्चात् जिसे आयकर अधिनियम कहा गया है) है और, -

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) में संदर्भित किसी भी कार्रवाई का पूरा होना, आयकर अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कोई आदेश पारित करने से संबंधित है, और उसकी धारा 153 या धारा 153B के अधीन ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय सीमा, उक्त अधिसूचनाओं द्वारा इसके विस्तार के कारण 30 अप्रैल, 2021 को समाप्त हो रही है, तो ऐसी समय सीमा को आगे 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) में संदर्भित किसी भी कार्रवाई का पूरा होना, आयकर अधिनियम की धारा 144 ग की उप-धारा (13) के अधीन आदेश पारित करने या धारा 149 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने या आयकर अधिनियम की धारा 151 के अधीन मंजूरी से





संबंधित है, और उक्त अधिसूचनाओं द्वारा इसके विस्तार के कारण ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय सीमा 30 अप्रैल, 2021 को समाप्त हो रही है, तो ऐसी समय सीमा को आगे 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा।”

11. अपीलार्थी का यह प्रकरण है कि दिनांक 27-4-2021 की अधिसूचना के आधार पर, निर्धारण अधिकारी के पास आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए दिनांक 30-6-2021 तक की अवधि उपलब्ध थी, किंतु यद्यपि सूचना दिनांक 30-6-2021 को जारी किया जाना बताया गया है, लेकिन इसे आयकर विभाग के पास अपीलार्थी के पंजीकृत ई-फाइलिंग खाते पर केवल दिनांक 3-7-2021 को अपलोड किया गया था जो कि वैध नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान के प्रावधान निहित हैं, उसके अनुसार इसे दिनांक 30-6-2021 को ही अपलोड किया जाना चाहिए था।

12. इस संबंध में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 का उल्लेख करना लाभप्रद होगा, जो इस प्रकार है: -

13. इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान -(1) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रेषण उस समय होता है जब वह प्रवर्तक के नियंत्रण से बाहर किसी कंप्यूटर साधन में डाला जाता है।

(2) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्राप्ति का समय निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) यदि प्रेषिती ने इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई कंप्यूटर साधन अभिहित कर लिया है,

(i) तो प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख अभिहित कंप्यूटर साधन में डाला जाता है, या

(ii) यदि इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख, प्रेषिती के ऐसे कंप्यूटर साधन में भेजा जाता है जो अभिहित कंप्यूटर साधन नहीं है तब प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रेषिती द्वारा पुनःप्राप्त कर लिया जाता है;

(ख) यदि प्रेषिती ने विनिर्दिष्ट समयों के साथ-साथ, यदि कोई हो, कोई कंप्यूटर साधन अभिहित नहीं किया है तो प्राप्ति तब होती है जब इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख, प्रेषिती के कंप्यूटर साधन में डाला जाता है।



*** **

13. भारत संघ व अन्य विरुद्ध जी.एस. चथा राइस मिल्स व एक अन्य के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

“85. ... अभिलेख का प्रेषण उस समय होता है जब वह प्रवर्तक के नियंत्रण से बाहर किसी कंप्यूटर साधन में डाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्राप्ति का समय धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रावधानों द्वारा तय किया जाता है। यदि प्रेषिती ने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई कंप्यूटर साधन अभिहित कर लिया है, तो प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अभिहित कंप्यूटर साधन में डाला जाता है अन्यथा, जहाँ कोई कंप्यूटर साधन अभिहित नहीं किया गया है, वहाँ अभिलेख की प्राप्ति तब मानी जाती है जब उसे प्रेषिती द्वारा पुनःप्राप्त किया जाता है। ये प्रावधान विधि में इसलिए शामिल किए गए हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति को समय और स्थान दोनों के संदर्भ में सटीकता के साथ परिभाषित किया जा सके।”

14. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 के प्रकाश में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, और इस संबंध में जी.एस. चथा राइस मिल्स (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के साथ इसे पढ़ने पर, यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि निर्धारण अधिकारी द्वारा सूचना दिनांक 30-6-2021 को जारी किया जाना बताया गया है, तथापि इसे आयकर विभाग के पास अपीलार्थी के पंजीकृत ई-फाइलिंग खाते पर केवल दिनांक 3-7-2021 को अपलोड किया गया था। इसे दिनांक 30-6-2021 को जारी किया गया नहीं माना जा सकता है, और इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 149(1)(ख) के साथ पठित धारा 148 के अधीन सूचना केवल दिनांक 3-7-2021 को जारी किया गया माना जाएगा, जो कि संशोधित धारा 149(1)(ख) के अधीन वर्जित है। एक बार जब आयकर अधिनियम की धारा 149 के अधीन सूचना परिसीमा की अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी के पास पुनः निर्धारण की कार्यवाही करने हेतु धारा 148 के अधीन क्षेत्राधिकार निहित नहीं होगा। इस परिप्रेक्ष्य में, विद्वान एकल न्यायाधीश को रिट याचिका पूर्णतः स्वीकार करनी चाहिए थी और प्रकरण को वापस भेजना निर्धारण अधिकारी को वह क्षेत्राधिकार प्रदान करने के समान होगा जो निर्धारण अधिकारी के पास आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 149(1)(ख) के अधीन निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर सूचना जारी न करने के कारण अन्यथा उपलब्ध नहीं था।

15. उपरोक्त विधिक विश्लेषण के परिणाम और निष्कर्ष के रूप में, हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को आंशिक रूप से खारिज करना और प्रकरण को निर्धारण



अधिकारी के पास पुनः निर्धारण की कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकार प्रदान करते हुए प्रतिप्रेषित करना पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि उन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की कि आयकर अधिनियम की धारा 149(1) (ख) के अधीन जारी सूचना परिसीमा की अवधि के परे है, जबकि धारा 149(1)(ख) के प्रावधान अनिवार्य हैं। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका क्रमांक 122/2023 में दिनांक 8-5-2023 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और रिट याचिका पूर्णतः स्वीकार की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 149(1)(ख) के सहपठित धारा 148 के अधीन जारी सूचना सहित समस्त कार्यवाही को भी एतद्द्वारा अभिखण्डित किया जाता है।

16. रिट अपील स्वीकार की जाती है, किंतु वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।



